

प्रधान कार्यालय: वित्त प्रभाग, शेयर विभाग, प्लॉट संख्या 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली - 110075
(ई-मेल: hosd@pnb.co.in)

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बँडक) विनियमन 2000 के विनियम 56 के अनुसार पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारकों की 18वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 12 जुलाई, 2019 को प्रातः 10.00 बजे मल्टीपर्पज हॉल, पंजाब नैशनल बैंक, प्रधान कार्यालय, प्लॉट संख्या 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली - 110075 में आयोजित होगी जिसमें निम्नलिखित विषय पर विचार-विमर्श किया जायेगा :-

1. 31 मार्च 2019 तक के बैंक की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट पर, 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि खातों पर, वित्तीय विवरणों पर लेखा और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट द्वारा अंतर्निहित अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर विचार करना और उसे अपनाना।


निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर संशोधन सहित या संशोधन के बिना संकल्प के रूप में पारित करना:

संकल्प:

“संकल्प किया जाता है कि 31 मार्च 2019 तक के बैंक की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट, 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि खाते, वित्तीय विवरणों पर लेखा और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट द्वारा अंतर्निहित अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट को एतद्वारा अनुमोदित, अपनाया एवं पारित किया जाता है।”

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते पंजाब नैशनल बैंक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.05.2019


(पी.के.शर्मा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी



Head Office: Finance Division, Share Department, Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi – 110 075
(Email – hosd@pnb.co.in)

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that pursuant to regulation 56 of Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000, 18th Annual General Meeting of the Shareholders of Punjab National Bank will be held on **Friday, the 12th July, 2019, at 10.00 A.M.** at Multipurpose Hall, Head Office, Plot No.4, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075 to transact the following business:

1. To consider and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2019, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2019, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report on the Financial Statements.

To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following Resolution:

RESOLUTION:

“RESOLVED THAT the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2019, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2019, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts are hereby adopted, approved and passed.”

By order of the Board of Directors
For Punjab National Bank

Place: New Delhi
Date: 28.05.2019


(P K Sharma)
Chief Financial Officer

टिप्पणियाँ:

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में उपस्थित होने और वोट देने के पात्र शेयरधारक अपने बदले किसी प्रॉक्सी को बैठक में उपस्थित होने और वोट देने के लिए नियुक्त करने का भी पात्र है तथा उस प्रॉक्सी के लिए बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। इस तरह से नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बैंक का कर्मचारी या अधिकारी है, प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। ग्रांटर जिसने प्रॉक्सी को नियुक्त किया है वह बैठक में वोट नहीं दे सकता है। प्रॉक्सी फार्म प्राधिकृत प्रतिनिधि पत्र प्रभावी करने के लिए उसे वित्त प्रभाग, शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय, ईस्ट विंग प्रथम तल, प्लॉट संख्या 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 में बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् शनिवार, 06.07.2019 की समाप्ति अर्थात् सांय 5.00 बजे से पहले अवश्य जमा करा दी जाए।

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

कोई भी ऐसा व्यक्ति, किसी निगमित निकाय के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में, तब तक बैठक में उपस्थित होने या मत देने का पात्र नहीं होगा, जब तक उस बैठक, जिसमें यह संकल्प पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे नियुक्त करने वाले संकल्प की सत्यप्रति को प्रमाणित करें। उक्त सत्यप्रति को वित्त प्रभाग, शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय, ईस्ट विंग प्रथम तल, प्लॉट संख्या 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 में, बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् शनिवार, 06.07.2019 की समाप्ति सांय 5.00 बजे से पहले अवश्य जमा करा दी जाए। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बैंक का कर्मचारी या अधिकारी है, प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता।

3. उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास:

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास इस नोटिस के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास में उचित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें व बैठक स्थल पर इसे सुपुर्द करें।

4. शेयरधारकों की बही बंद रहना

शेयरधारकों की बही और बैंक के शेयर ट्रांसफर बुक्स सोमवार, 08 जुलाई 2019 से शुक्रवार, 12 जुलाई 2019 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे।

5. लाभांश की प्राप्ति न होना

शेयरधारकों को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि कोई लाभांश राशि देय तिथि से 7 वर्षों तक अदत्त/अदावी रहते हैं तो उक्त अदत्त/अदावी राशि को केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरित करना होगा। इसलिए, वित्तीय वर्ष 2010-11 के लाभांश खाते में अदत्त/अदावी राशि आईईपीएफ को अंतरित कर दी गई है। जिन शेयरधारकों ने वर्ष 2011-12 के लिए लाभांश (ओं) प्राप्त/दावा नहीं किया है, उनसे राशि का दावा करने के लिए अपना नवीनतम पता, मोबाइल/टेलीफोन नंबर, फोलियो नंबर/डीपी- आईडी और क्लाइंट आईडी और बैंक विवरण

NOTES:

1. APPOINTMENT OF PROXY

A shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and such a proxy need not be a shareholder of the Bank. The proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting. No person shall be appointed as a Proxy who is an officer or an employee of the Bank. The grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting. The proxy in order to be effective, must be received by the Bank at the Finance Division, Share Department, Head Office, East Wing, First Floor, Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110075 not less than four days before the date of the meeting i.e. on or before the closing hours i.e. 5.00 p.m. on Saturday, the 06.07.2019.

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at any meeting as duly authorized representative of a body corporate, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Finance Division, Share Department, East Wing, First Floor, Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110075, not less than four days before the date of the meeting i.e. on or before the closing hours i.e. 5.00 p.m. on Saturday, the 06.07.2019. No person shall be appointed as an authorized representative, who is an officer or an employee of the Bank.

3. ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this Notice. Shareholders/Proxy holders/Authorized Representatives are requested to affix their signatures at the space provided on the enclosed Attendance Slip-cum-Entry Pass and surrender the same at the AGM venue.

4. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Monday, the 08th July 2019 to Friday, the 12th July 2019 (both days inclusive).

5. NON RECEIPT OF DIVIDEND

Shareholders are also hereby informed that if any dividend amount remains unpaid/ unclaimed for 7 years from its due date, the said unpaid/unclaimed amount has to be transferred to Investor Education & Protection Fund (IEPF) set up by Central Government. As such, the unpaid/unclaimed amount in Dividend Account for FY 2010-11 has been transfer to IEPF. The shareholders who have not received/claimed the dividend(s) for year 2011-12 are, therefore, requested to claim the same not later than **30th June 2019** by giving their latest address, Mobile/Telephone

जैसे बैंक का नाम, शाखा का पता, बैंक खाता संख्या और आईएफएस कोड देकर 30 जून 2019 से पूर्व राशि का दावा करने का अनुरोध किया जाता है। कृपया ध्यान दें कि एक बार अदावी राशि आईईपीएफ में अंतरित हो जाने के बाद, कोई भी व्यक्तिगत दावा बैंक के निमित्त नहीं पड़ा होगा। 2011-12 से अदत्त/अदावी लाभांश की वर्ष वार सूची बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in पर 'Investors' Info' के तहत अपलोड की गई है।

6. शेयरधारकों से अनुरोध

- ए) कृपया ध्यान दें कि बैठक स्थल पर वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वितरित नहीं की जाएंगी। इसलिए, शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रतियां लाने का अनुरोध किया जाता है। प्रारूप के साथ वार्षिक रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in पर पोस्ट की जा रही है।
- बी) 2018-19 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रति जिसमें बैंक की 18 वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना शामिल है, अन्य बातों के साथ-साथ ई-वोटिंग की प्रक्रिया और शैली का संकेत देते हुए उपस्थिति पर्ची और प्रॉक्सी फॉर्म आदि उन सभी को भेजा जा रहा है, जिनकी ईमेल आईडी एसटीए/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत हैं, जब तक कि किसी भी शेयरधारक ने उसकी भौतिक प्रतियां के लिए अनुरोध नहीं किया हो। उन शेयरधारकों के लिए जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, 2018-19 के बैंक की 18 वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना सम्मिलित करते हुए परस्पर, ई-वोटिंग की प्रक्रिया और शैली दर्शाते हुए संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां, उपस्थिति पर्ची और प्रॉक्सी फॉर्म आदि के साथ अनुज्ञप्त मोड में भेजा जा रहा है।
- सी) शेयरधारक यह भी नोट कर सकते हैं कि 18वीं एजीएम की सूचना और 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in पर भी डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगी। उपरोक्त दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां कार्य दिवस के सामान्य व्यावसायिक घंटों के दौरान निरीक्षण हेतु बैंक के प्रधान कार्यालय, वित्त विभाग, शेयर विभाग, ईस्ट विंग, प्रथम तल, प्लॉट नंबर 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली 110075 में उपलब्ध होंगी। यहाँ तक कि ई-कम्युनिकेशन के लिए पंजीकरण करने के उपरान्त भी, शेयरधारकों को विशिष्ट अनुरोध करने पर भौतिक रूप में इस तरह का कम्युनिकेशन डाक द्वारा निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकार है। शेयरधारक बैंक की ईमेल-आईडी: hosd@pnb.co.in और हमारे शेयर ट्रांसफर एजेंट की ईमेल आईडी: beetal@beetalfinancial.com पर भी अपने अनुरोध भेज सकते हैं।
- डी) शेयरधारक कृपया नोट करे कि बैठक स्थल पर कोई उपहार/उपहार कूपन नहीं बांटे जाएंगे।
- ई) सुरक्षा कारणों से हॉल के अंदर ब्रीफकेस, खाने-पीने और अन्य सामान ले जाने की अनुमति नहीं है। इसलिए बैठक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करें।

7. वेबकास्ट सुविधा

शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि बैंक एनएसडीएल की वेबसाइट पर वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की कार्यवाही की लाइव

No. Folio No./ DP-ID & Client ID and Bank details viz. Bank name, branch address, Bank account no. and IFS code etc. for claiming the amount. Please note that once the unpaid amount is transferred to IEPF, no individual claim shall lie against the Bank. Year-wise list of unpaid/unclaimed dividend from 2011-12 onwards is uploaded on Bank's website www.pnbindia.in under 'Investors' Info'.

6. REQUEST TO SHAREHOLDERS

- a) Please note that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the meeting. Shareholders/ Proxyholders/Authorized Representatives are, therefore, requested to bring their copies of the Annual Report to the meeting. The Annual Report along with formats is being posted on the Bank's Website at www.pnbindia.in
- b) Electronic copy of the Annual Report for 2018-19 containing the notice of the 18th Annual General Meeting (AGM) of the Bank, inter alia, indicating the process and manner of e-voting along with Attendance Slip and Proxy Form etc. is being sent to all the shareholders whose email IDs are registered with the STA / Depository Participant(s) for communication purposes unless any shareholder has requested for a hard copy of the same. For shareholders who have not registered their email address, physical copies of the abridged Annual Report for 2018-19 containing the notice of the 18th Annual General Meeting (AGM) of the Bank, inter alia, indicating the process and manner of e-voting along with Attendance Slip and Proxy Form etc. are being sent in the permitted mode.
- c) Shareholders may also note that the Notice of the 18th AGM and the Annual Report for 2018-19 will also be available on the Bank's website www.pnbindia.in for download. The physical copies of the aforesaid documents will also be available at the Bank's Head Office at Finance Division, Share Department, East Wing, First Floor, Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110075 for inspection during normal business hours on working days. Even after registering for e-communication, shareholders are entitled to receive such communication in physical form, upon making a specific request, by post, free of cost. The shareholders may also send their requests to the Bank's email-id: hosd@pnb.co.in and at the email id of our Share Transfer Agent: beetal@beetalfinancial.com.
- d) Shareholders may kindly note that no gift/gift coupon will be distributed at the meeting.
- e) Due to security reasons brief cases, eatables & other belongings are not allowed inside the hall. Persons attending the meeting are therefore advised to make their own arrangements for safe keeping of their articles.

7. WEBCAST FACILITY

The Shareholders are informed that the Bank will be providing a facility to view the live streaming of the proceedings of the Annual General Meeting (AGM) on the NSDL website. You may access the same at <https://>

स्ट्रीमिंग देखने की सुविधा प्रदान करेगा। आप अपने रिमोट ई-वोटिंग क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके <https://www.evoting.nsdl.com> पर उसे एक्सेस कर सकते हैं। लिंक शेयरधारक लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां बैंक का ईवीईएन प्रदर्शित किया जाएगा।

वेबकास्टिंग की सुविधा 12 जुलाई 2019 को प्रातः 10.00 बजे से उपलब्ध होगी।

8. ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के अधिकार का उपयोग करना

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अधिग्रहण) अधिनियम 1970 (यथा संशोधित) की धारा 3 (2ई) के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा बैंक के किसी भी शेयरधारक को उसके शेयर के सम्बन्ध में बैंक के शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकार के 10% से अधिक वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। यदि कोई भी शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर धारण किया जा रहा है, तो मतदान के संबंध में रजिस्टर में पहले नामित व्यक्ति को एकमात्र धारक माना जाएगा।

कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम 2014, कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) संशोधन नियम 2015 के माध्यम से यथा संशोधित के नियम 20 के अनुसार शेयरधारक बैठक में उपस्थित होने तथा वोट देने का पात्र है और वे अपने वोट का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से कर सकते हैं।

वोटिंग प्रक्रिया

इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से वोटिंग

- I. सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) के विनियमन 2015 के विनियम 44, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के अनुसरण में और कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 यथासंशोधित के नियम 20 के प्रावधानों की अनुपालन में बैंक शेयरधारकों को आगामी एजीएम में विचारणीय संकल्पों पर आम बैठक में और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान करने की सुविधा दे रहा है और यह कार्यनिष्पादन नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिया जा रहा है। रिमोट ई-वोटिंग और आम बैठक में वोट देने हेतु शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ तिथि 05.07.2019 है।
- II. सदस्यों को वोटिंग की सुविधा बैठक में भी उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, बैठक में अपना वोटिंग अधिकार का उपयोग कर सकेंगे।
- III. जो सदस्य बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल चुके हैं, वे भी बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन पुनः अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।
- IV. रिमोट ई वोटिंग के लिए निर्देश निम्नवत है :-
 - (i) रिमोट ई वोटिंग की अवधि 09.07.2019 (प्रातः 9.00 बजे) शुरू होगी और 11.07.2019 (सायं 5.00 बजे) तक समाप्त हो जाएगी। इस अवधि में कट-ऑफ तिथि (रिकार्ड तिथि) 05.07.2019 के अनुसार बैंक के शेयरधारक चाहे वह भौतिक रूप में शेयरधारण करते हो या डिमेंटेरियालाइज्ड रूप में, वे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना वोट दे सकते हैं। ई वोटिंग के बाद एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग माड्यूल हटा दिया जाएगा।

www.evoting.nsdl.com by using your remote e-voting credentials. The link will be available in the shareholder login where the EVEN of the Bank will be displayed.

The webcasting facility will be available from 10.00 A.M. onwards on 12th July, 2019.

8. EXERCISE OF VOTING RIGHTS THROUGH E-VOTING

In terms of provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (as amended) no shareholder of the Bank other than Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of the shares held by him in excess of 10% of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. If any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

In terms of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, shareholders entitled to attend and vote at the meeting, can exercise their voting rights through electronic means.

VOTING PROCESS

VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

- I. Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Listing Agreement with Stock Exchanges and provisions under Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the Bank is pleased to provide its shareholders facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered in the Meeting by electronic means through e-voting platform provided by National Securities Depository Limited (NSDL) and voting at the general meeting. The Cut-off Date for determining the eligibility of shareholders to exercise remote e-voting and voting at general meeting is 05.07.2019.
- II. That the facility for voting shall also be made available at the meeting & members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting.
- III. That the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
- IV. The instructions for remote e-voting are as under
 - (i) The remote e-voting period begins on 09.07.2019 (9:00 am) and ends on 11.07.2019 (5:00 pm). During this period, shareholders' of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 05.07.2019, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

- (ii) रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और शैली का विवरण नीचे दिया गया है:

चरण 1: शेयरधारकों को ई-वोटिंग वेबसाइट <https://www.evoting.nsdl.com> पर लॉग ऑन करना चाहिए

चरण 2: शेयरधारक को तब एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालना चाहिए।

चरण 1 पर विवरण नीचे वर्णित है:

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग-इन कैसे करें?

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्न यूआरएल : <https://www.evoting.nsdl.com/> टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें।
2. एकबार ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने जाने के बाद, 'लॉगइन' आइकॉन पर क्लिक करें जोकि 'शेयरहोल्डर्स' सेक्शन के तहत उपलब्ध है।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपनी यूजर आईडी, अपना पासवर्ड और स्क्रीन पर दर्शाया गया सत्यापन कोड दर्ज करना होगा।
वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल सेवाओं यानी आईडीईएस के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा आईडीईएस लॉगिन के साथ <https://eservices.nsdl.com/> पर लॉग-इन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करने के बाद एनएसडीएल की ई-सेवाओं में लॉग-इन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 पर आगे बढ़ सकते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। आप एनएसडीएल के मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं।
4. आपके यूजर आईडी का विवरण नीचे दिया गया है:

शेयर धारित करने का तरीका अर्थात डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	आपका यूजर आईडी है:
ए) उन सदस्यों के लिए जो एनएसडीएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखते हैं।	8 डिजिट क्लाइंट आईडी के अनुसार 8 कैरेक्टर डीपी आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी डीपी आईडी IN300*** है और क्लाइंट आईडी 12***** है तो आपका यूजर आई IN300***12***** होगा
बी) सीडीएसएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	16 अंकों की बेनफिशियरी आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी बेनफिशियरी आईडी 12***** है तो आपका यूजर आई 12***** होगा
सी) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर के अनुसार इवन नंबर उदाहरण के लिए यदि फोलियो नंबर 001*** है और इवन 101456 है तो यूजर आई 101456001*** होगा

5. आपका पासवर्ड विवरण नीचे दिया गया है:
(ए) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग लॉगिन और अपना वोट डालने के लिए कर सकते हैं।

- (ii) The details of the process and manner for remote e-voting are explained herein below:

Step 1: The shareholders should log on to the e-voting website <https://www.evoting.nsdl.com>

Step 2: The shareholder should then cast the vote electronically on NSDL e-voting system.

Details on Step 1 is mentioned below:

How to Log-in to NSDL e-Voting website?

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: <https://www.evoting.nsdl.com/> either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon 'Login' which is available under 'Shareholders' section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password and a Verification Code as shown on the screen.
Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at <https://eservices.nsdl.com/> with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically. You can use the Mobile App of NSDL.
4. Your User ID details are given below :

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12***** then your user ID is IN300***12*****.
b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example if your Beneficiary ID is 12***** then your user ID is 12*****
c) For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the company For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5. Your password details are given below:
a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.

(बी) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, तो evoting@nsdl.co.in पद पर अपने डीमैट खाता संख्या/फोलियो नंबर, अपना पैन, अपना नाम और अपने पंजीकृत पते का उल्लेख करें या आप एनएसडीएल हेल्पडेस्क 1800-222-990 पर कॉल कर सकते हैं।

6. यदि आप अपना पासवर्ड पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं या भूल चुके हैं:

ए) 'Forgot User Details/Password?' पर क्लिक करें। (यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ अपने डीमैट खाते में शेयर रख रहे हैं) विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

बी) 'Physical User Reset Password?' (यदि आप भौतिक मोड में शेयर धारण कर रहे हैं) विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

सी) यदि आप अभी भी दो विकल्पों के द्वारा पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप evoting@nsdl.co.in पर अपने डीमैट अकाउंट नंबर/फोलियो नंबर, अपना पैन, अपना नाम और अपने पंजीकृत पते का उल्लेख करके अनुरोध भेज सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर *Terms and Conditions* पर Agree पर tick करें।

8. अब, आपको, लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा।

9. 'Login' बटन पर क्लिक करने के बाद, e-voting का होम पेज खुल जाएगा।

स्टेप 2 का विवरण नीचे दिया गया है:

एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना वोट कैसे डालें?

1. स्टेप 1 पर सफल लॉगिन के बाद, आप ई-वोटिंग का होम पेज देख पाएंगे। ई-वोटिंग पर क्लिक करें। फिर, एक्टिव वोटिंग साइकिल पर क्लिक करें।

2. एक्टिव वोटिंग साइकिल पर क्लिक करने के बाद, आप सभी कंपनियों को 'EVEN' देख पाएंगे, जिसमें आप शेयर धारण कर रहे हैं और जिनका वोटिंग साइकिल सक्रिय स्थिति में है।

3. उस कंपनी का 'EVEN' चुनें जिसके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं।

4. जैसे ही आपका वोटिंग पेज खुलता है आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।

5. समुचित विकल्प चुनकर आप अपना वोट डाल सकते हैं, अर्थात्, जिनको आप अपना वोट देना चाहते हैं उन शेयरों की संख्या पर सहमति या असहमति, सत्यापन/संशोधन कर, "सबमिट" पर क्लिक करें और अपने वोट को "कॉन्फर्म" करें।

6. पुष्टि करने के बाद, सफलतापूर्वक वोट डाला गया, संदेश प्रदर्शित होगा।

7. आप पुष्टि पृष्ठ के प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोट का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।

8. एक बार संकल्प पर अपना वोट डालने के बाद आपको अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात्, व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को विधिवत तौर पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओ), के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ बोर्ड संकल्प/प्राधिकृत पत्र आदि की

b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, request at evoting@nsdl.co.in mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address or you may call at NSDL helpdesk at 1800-222-990.

6. If you are unable to retrieve or have forgotten your password:

a) Click on 'Forgot User Details/Password?' (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.

b) 'Physical User Reset Password?' (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.

c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.co.in mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address.

7. After entering your password, tick on Agree to 'Terms and Conditions' by selecting on the check box.

8. Now, you will have to click on 'Login' button.

9. After you click on the 'Login' button, Home page of e-Voting will open.

Details on Step 2 is mentioned below:

How to cast your vote electronically on NSDL e-Voting system?

1. After successful login at Step 1, you will be able to see the Home page of e-Voting. Click on e-Voting. Then, click on Active Voting Cycles.

2. After click on Active Voting Cycles, you will be able to see all the companies 'EVEN' in which you are holding shares and whose voting cycle is in active status.

3. Select 'EVEN' of company for which you wish to cast your vote.

4. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.

5. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on 'Submit' and also 'Confirm' when prompted.

6. Upon confirmation, the message 'Vote cast successfully' will be displayed.

7. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.

8. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

General Guidelines for shareholders

1. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority

- स्कैन्ड प्रति (पीडीएफ/जेपीजी फॉर्मेट) agc.scrutinizer@gmail.com संवीक्षक को तथा evoting @nsdl.co.in प्रति ई-मेल द्वारा भेजनी होगी।
2. यह दृढ़ता से अनुशांसा की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन सही पासवर्ड में कुंजी के पांच असफल प्रयासों पर अक्षम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में, आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध 'Forgot User Details/Password?' or 'Physical User Reset Password?' विकल्प पर जाना होगा।
 3. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) को संदर्भित कर सकते हैं और यह www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध है या शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका या टोल फ्री नंबर: 1800-222-990 पर कॉल कर सकते हैं या 02224994545 पर सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक से संपर्क करें या Pallavid@nsdl.co.in / evoting@nsdl.co.पद पर अनुरोध भेजें।
- V. मैसर्स आशु गुप्ता एंड कंपनी (ई-मेल आईडी agc.scrutinizer@gmail.com) में कार्यरत कंपनी सचिव सुश्री आशु गुप्ता (सदस्यता सं. एफ 4123, सीपी नं. 6646) को बैंक द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया की संवीक्षा करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- VI. संवीक्षक, एजीएम के दौरान हुई वोटिंग के तुरंत बाद डाले गए वोटों की गिनती करेगा तत्पश्चात दो (2) साक्ष्यों की उपस्थिति में जो बैंक के कर्मचारी न हों, वोट अनब्लॉक करेगा और बैठक के अध्यक्ष को या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को पक्ष या विपक्ष में डाले गये वोट की यदि कोई हो, लिखित रिपोर्ट एजीएम की समाप्ति के 48 घंटों के अन्दर अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा तथा अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित में प्राधिकृत एक व्यक्ति प्रतिहस्ताक्षर करेगा और अध्यक्ष या प्राधिकृत व्यक्ति वोटिंग के परिणामों की घोषणा करेगा।
- VII. समेकित संवीक्षक रिपोर्ट के साथ परिणामों के विषय में, बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in पर तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर अध्यक्ष द्वारा परिणामों की घोषणा के पश्चात तत्काल सूचित कर दिया जाएगा।
9. **शेयरधारकों से अपील**
- कागज को बचाने हेतु, डीमैट खातों में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीमैट खाते में अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत (यदि पंजीकृत नहीं हैं) करें जिससे नोटिस/वार्षिक रिपोर्ट और अन्य संचार ई-मेल के माध्यम से भेजे जा सकें।
- शेयरधारक जिन्होंने भौतिक रूप में शेयर धारित कर रखे हैं से अनुरोध किया जाता है कि वे आरटीए को मेल-आईडी के माध्यम से नोटिस/वार्षिक रिपोर्ट और अन्य संचार प्राप्त करने के लिए अपना अनुरोध (उनके फोलियो नंबर के साथ) भेजकर ई-मेल आईडी निम्नलिखित पते पर अद्यतन कराएं।
- letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to agc.scrutinizer@gmail.com with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.
2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the 'Forgot User Details/Password?' or 'Physical User Reset Password?' option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.
 3. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, at 02224994545 or send a request at Pallavid@nsdl.co.in / evoting@nsdl.co.in.
- V. Ms. Ashu Gupta, Practising Company Secretary (Membership No. F4123, CP No. 6646) of M/s Ashu Gupta & Co. (email ID – agc.scrutinizer@gmail.com) has been appointed as the Scrutinizer by the Bank to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.
- VI. The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the AGM, will first count the votes cast at the meeting and thereafter unblock the votes cast through remote e-voting in the presence of at least two (2) witnesses not in the employment of the Bank. The Scrutinizer shall submit a consolidated Scrutinizer's Report on the total votes cast to the Chairman of the Meeting not later than 48 hours of conclusion of the AGM and the Chairman or a person authorised by him in writing who shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith.
- VII. The Results along with the Consolidated Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website www.pnbindia.in and on the website of Stock Exchanges immediately after the result is declared by the Chairman.
9. **APPEAL TO SHAREHOLDERS**
- To save papers, shareholders holding Shares in Demat Accounts are requested to get register (if not registered) their email ID in their Demat Account so that notices/ Annual Reports & other communication may be sent through E-Mail.
- Shareholders holding Shares in Physical form are requested to update their email ID with RTA by sending their request (along with their Folio Number) for receiving the notices/Annual Reports & other communication through their mail-ID, at following address:

बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड (यूनिट: पीएनबी), बीटल हाउस',

तृतीय तल, 99, मदनगीर, लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे, नई दिल्ली - 110062

दूरभाष सं. 011-29961281/82/83, फ़ैक्स: 011-29961284.

ई-मेल: beetal@beetalfinancial.com

Beetal Financial & Computer Services (P) Limited (Unit: PNB), Beetal House',

3rd Floor, 99, Madangir, Behind Local Shopping Centre, New Delhi 110062 -


Tel. No. 011-29961281/82/83, Fax: 011-29961284.

E-mail: beetal@beetalfinancial.com

बोर्ड के निदेशकों के आदेशानुसार
कृते पंजाब नैशनल बैंक

By order of the Board of Directors
For PUNJAB NATIONAL BANK

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28.05.2019


(पी के शर्मा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

Place: NEW DELHI
Date: 28.05.2019


(P K Sharma)
Chief Financial Officer

Head Office: Plot No.4, Sector-10, Dwarka, New Delhi – 110 075

FORM 'B'

FORM OF PROXY
(To be filled in and signed by the shareholder)

Regd. Folio No. (If not Dematerialised)	
DPID No. - Client ID No. (If Dematerialised)	
No of shares.	

I/We, _____ resident/s of _____ in the district of _____ in the state of _____ being a shareholder/s of Punjab National Bank, hereby appoint Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ or failing him/her, Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Annual General Meeting of the shareholders of the Bank to be held on Friday, the 12th July, 2019 at 10.00 a.m., at Multipurpose Hall of Punjab National Bank, Head Office, Plot No.4, Sector-10, Dwarka, New Delhi – 110075 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2019.

Signature of the Proxy _____

Revenue
Stamp

Signature of sole/first holder

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
 - a. in case of an individual shareholder, it is signed by him/her or by his/her attorney duly authorised in writing,
 - b. in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the Register of Shareholders or by his/her attorney duly authorised in writing,
 - c. in the case of a body corporate, it is signed by its officer and executed under its Common Seal, if any, or otherwise signed by its attorney duly authorised in writing.
 - d. shall be in the Form B and duly stamped.
2. An instrument of proxy, in which the thumb impression of the shareholder is affixed, will be valid provided it is attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an officer of Punjab National Bank.

प्रधान कार्यालय: प्लॉट संख्या 4, सेक्टर- 10, द्वारका, नई दिल्ली, 110075

फार्म- "बी"

प्रॉक्सी फार्म
 (शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षर किया जाए)

रजिस्टर्ड फोलियो नं. (मूर्त शेयरों के लिए)	
डीपीआईडी सं. ग्राहक आईडी सं. (यदि अमूर्त रूप में)	
शेयरों की संख्या	

मैं/हम-----निवासी-----
 पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा ----- के निवासी श्री/श्रीमती
 ----- को अथवा उनके उपस्थित न हो सकने पर -----
 के निवासी श्री/श्रीमती ----- को 12 जुलाई, 2019 को शुक्रवार, प्रातः 10.00 बजे बैंक के शेयरधारकों
 की असाधारण आम बैठक में जो पंजाब नैशनल बैंक के मल्टीपर्सनल हॉल, प्रधान कार्यालय, प्लॉट सं. 4, सेक्टर -10, द्वारका, नई दिल्ली-
 110075 में आयोजित होगी तथा उसके स्थगित होने पर मेरी/हमारी ओर से मेरे/हमारे लिए मत देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता हूँ/करते हैं ।
 वर्ष 2019 के -----मास की ----- तारीख को हस्ताक्षरित

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर _____

कृपया रसीदी
 टिकट चिपकाएं

एकल/प्रथम शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी फॉर्म पर हस्ताक्षर करने एवं प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश

- कोई भी प्रॉक्सी दस्तावेज़ तब तक वैध नहीं होगा जब तक:
 - व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में उसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे या विधिवत् लिखित रूप में अधिकृत अर्तनी हस्ताक्षर करेगा ।
 - संयुक्त धारकों के मामले में सदस्यों के रजिस्टर में प्रथम नाम के शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा लिखित रूप से अधिकृत अर्तनी द्वारा हस्ताक्षर किये जाएंगे ।
 - निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी द्वारा सामान्य मोहर, यदि हो, तो लगाकर इन्हें हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया जाएगा या अन्यथा लिखित रूप से विधिवत् अधिकृत अर्तनी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे ।
 - फार्म बी में होंगे और विधिवत् रूप से स्टाम्प होंगे ।
- प्रॉक्सी दस्तावेज़ जिस पर शेयरधारक द्वारा अंगूठे का निशान लगाया गया है, तभी वैध माना जाएगा जब उसे किसी जज, मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार

3. The proxy together with:
 - a. the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or
 - b. a copy of that power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Finance Division, Share Department, Punjab National Bank, Head Office: Plot No.4, Sector-10, Dwarka, New Delhi – 110 075 not later than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting, i.e. on or before closing hours i.e. 5.00 p.m. of Saturday, 06th July, 2019.
4. In case the relevant power of attorney is already registered with Punjab National Bank or its Share Transfer Agent, the registration number of the power of attorney and the date of such registration may be mentioned.
5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
8. The proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting but such proxy can attend & vote on behalf of the grantor.
9. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Punjab National Bank.

एसोरेंस द्वारा या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी द्वारा या पंजाब नैशनल बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया गया हो ।

3. प्रॉक्सी फार्म के साथ नोटरी पब्लिक या एक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित उक्त मुख्तारनामे या प्राधिकार पत्र की हस्ताक्षरित प्रति को पंजाब नैशनल बैंक, प्रधान कार्यालय, प्लॉट सं. 4, सेक्टर -10, द्वारका, नई दिल्ली- 110075 के पास वार्षिक आम बैठक की तिथि से अधिकतम 4 दिन पहले 06 जुलाई, 2019 शनिवार, सायं 5.00 बजे तक जमा करवा दिया जाए ।
4. यदि संबंधित मुख्तारनामा पंजाब नैशनल बैंक या इसके शेयर अंतरण एजेंट के साथ पहले से ही पंजीकृत है, तो मुख्तारनामे की पंजीकरण संख्या तथा ऐसे पंजीकरण की तिथि का उल्लेख किया जाए ।
5. बैंक के पास जमा प्रॉक्सी दस्तावेज अंतिम व अपरिवर्तनीय होगा ।
6. वैकल्पिक रूप में, दो गारंटियों के पक्ष में की गई एक दस्तावेज की प्रॉक्सी के मामले में, एक से ज्यादा फार्म को निष्पादित नहीं किया जाए।
7. जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी का दस्तावेज निष्पादित किया हो वह बैठक में उस दस्तावेज से सम्बद्ध वोट देने का पात्र नहीं होगा ।
8. इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा । ऐसे में प्रॉक्सी प्रदाता की ओर से उपस्थित हो सकेगा और वोट दे सकेगा।
9. पंजाब नैशनल बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को वैधानिक रूप से प्राधिकृत या प्रॉक्सीधारक नियुक्त नहीं किया जा सकता ।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक !  **punjab national bank** ...the name you can BANK upon !

प्रधान कार्यालय : प्लॉट संख्या 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली, 110075
HEAD OFFICE: Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110075

वार्षिक आम बैठक, शुक्रवार, 12 जुलाई, 2019 समय प्रातः 10.00 बजे
ANNUAL GENERAL MEETING, FRIDAY, 12th July, 2019 AT 10.00 A.M.

पंजाब नैशनल बैंक प्रधान कार्यालय: प्लॉट संख्या 4, सेक्टर 10, द्वारका नई दिल्ली-110075
AT PNB HEAD OFFICE, PLOT NO. 4, SECTOR 10, DWARKA, NEW DELHI 110075

उपस्थिति पर्ची / ATTENDANCE SLIP

(उपस्थिति के पंजीकरण के समय सुपुर्द करने हेतु)

(To be surrendered at the time of registration of attendance)

नाम स्पष्ट अक्षरों में (सदस्य/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि) NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/Authorised Representative)	पंजीकृत फोलियो/डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं. REGD.FOLIO/DPID & CLIENT ID No.	शेयरों की संख्या Number of Shares
शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर Signature of Shareholder/Proxy/Authorised Representative		

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक !  **punjab national bank** ...the name you can BANK upon !

प्रधान कार्यालय : प्लॉट संख्या 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली, 110075
HEAD OFFICE: Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110075

वार्षिक आम बैठक, शुक्रवार, 12 जुलाई, 2019 समय प्रातः 10.00 बजे
ANNUAL GENERAL MEETING, FRIDAY, 12th July, 2019 AT 10.00 A.M.

प्रवेश पास / ENTRY PASS

(बैठक के दौरान अपने पास रखना है)

(To be retained throughout the meeting)

नाम स्पष्ट अक्षरों में (सदस्य/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि) NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/Authorised Representative)	पंजीकृत फोलियो/डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं. REGD.FOLIO/DPID & CLIENT ID No.	शेयरों की संख्या Number of Shares
शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर Signature of Shareholder/Proxy/Authorised Representative		

बैठक हॉल में प्रवेश के लिए शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इस उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास को बैठक कक्ष में उपस्थिति के समय विधिवत् हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करें। प्रवेश पास वाला भाग शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को लौटा दिया जाएगा, जिसे उन्हें बैठक समाप्त होने तक अपने पास रखना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में, कोई भी डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास जारी नहीं किया जाएगा।

Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to produce Attendance-slip-cum-Entry pass duly signed, for admission to the meeting hall. The Entry pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. Under no circumstances, any duplicate Attendance slip-cum-Entry pass will be issued.